2017 का विधेयक, संख्यांक 130

[दि ऑटीज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर्स (रिकॉग्निशन एण्ड ट्रीटमेन्ट) बिल, 2017 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार (मान्यता और उपचार) विधेयक, 2017

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों से पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देने और उपचार को सुलभ और वहनीय बनाने एवं उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार (मान्यता और उपचार) अधिनियम, 2017 है।

(*2*) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य और विधान सभा क्षेत्र वाले संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, क्रमश: राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''ए एन एम'' से ग्रामीण स्तर पर सहायक नर्स, मिडवाइफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभिप्रेत है;

(ग) ''आशा'' से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियोजित प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभिप्रेत है;

(घ) ''ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार'' से मध्य तंत्रिका तंत्र के पूर्ण विकास में विलंब के परिणामस्वरूप होने वाले तंत्रिका-विकार संबंधी विकार अभिप्रेत हैं जिससे व्यक्ति के संपर्क करने, संबंधों को समझने और अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों को मुख्य रूप से समझने की क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और वह बहुधा असाधारण अथवा अलग रीति से कर्म अथवा व्यवहार करने लगता है;

(ङ) ''समिति'' से धारा 4 के अन्तर्गत गठित ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार निगरानी समिति अभिप्रेत है;

(च) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से नगर निगम अथवा नगर परिषद अथवा नगर पंचायत अथवा जिला परिषद अथवा कोई शहरी स्थानीय निकाय अभिप्रेत है;

(छ) ''मानसिक स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक'' से नैदानिक मनोवैज्ञानिक, काउन्सलिंग मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रक्षिशित नर्सें अभिप्रेत हैं;

(ज) ''अधिसूचना'' से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; और

(झ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित व्यक्तियों के वहनीय उपचार के अधिकार को मान्यता देना।

3. केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति से जो विहित की जाए ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को वहनीय उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार निगरानी समिति का गठन।

4. *(1)* समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार निगरानी समिति का गठन करेगी।

***(2)* समिति समुचित सरकार द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, नियुक्त किए जाने वाले जिला चिकित्सा अधिकारी, जिलाधीश और एक प्रतिष्ठित चिकित्सक से मिलकर बनेगी।**

***(3)* समिति का प्रमुख प्रतिष्ठित चिकित्सक होगा जो चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, और वह समिति के उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत और मतदान के निर्णय पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।**

अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन।

5. समिति का इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन और मूल्यांकन में समुचित सरकार की सहायता करेगी।

वार्षिक प्रतिवेदन।

6. समिति इस अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्धित मानसिक स्वास्थ्य देशभाल सेवाओं में प्रगति संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और उसे मानसिक स्वास्थ्य देशभाल सुपुर्दगी के मूल्यांकन की कसौटी का निर्णय करने के लिए समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगी।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक।

7. समुचित सरकार ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित रोगियों के लिए न्यूनतम 1:40 का चिकित्सक-रोगी अनुपात बनाए रखने के लिए सार्वजनिक चिकित्सालयों में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक नियुक्त करेगी।

8. केन्द्रीय सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं और नर्सों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

केन्द्रीय सरकार आवश्यक अवसंरचना का कार्य करेगी।

9. समुचित सरकार समिति की सहायता से सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानसिक स्वास्थ्य देशभाल सेवा सुपुर्दगी को सुकर बनाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देशभाल कार्यकर्ताओं और नर्सों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करेगी।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और नर्सों का प्रशिक्षण।

10. स्थानीय प्राधिकारी ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित व्यक्तियों के प्राथमिक देखभाल की व्यवस्था करेगी और तंत्रिका विकार संबंधी विकारों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए आशा और एएनएम स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की नियुक्ति करेगा।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुपुर्दगी में गैर–विशेषज्ञ वृत्तिक।

11. स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम करेगा और उन्हें ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित व्यक्तियों के लक्षणों के बारे में संवेदनशील बनाएगा।

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

12. समुचित सरकार काउन्सलिंग, थेरापेटिक सत्रों सहित ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों का उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क दवाइयों सहित पुनर्सुधार देखभाल की व्यवस्था करेगी।

समुचित सरकार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराएगी।

13. (*1*) स्थानीय प्राधिकारी अपने स्थानीय क्षेत्रों में सार्वजनिक जागरूकता शिविरों और नि:शुल्क मानसिक स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करेगा।

(*2*) उपधारा (*1*) के अन्तर्गत नि:शुल्क मानसिक स्वास्थ्य जांच शिविरों की स्थापना करते समय, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां कम आय वाले और शिक्षा के कम स्तर वाले लोग रहते हैं।

सार्वजनिक जागरूकता और नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर।

14. समुचित सरकार समुदायों को ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों और ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों से पीड़ित व्यक्तियों से मिलते समय उनके क्रियाकलापों अथवा व्यवहार के बारे में अवगत कराएगी।

सामाजिक कलंक से निपटने के लिए कदम।

15. केन्द्रीय सरकार ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों और अन्य तंत्रिका–विकास संबंधी विकारों के क्षेत्र में चिकित्सीय अनुसंधान हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएगी।

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों के क्षेत्र में चिकित्सीय अनुसंधान हेतु निधि।

16. समुचित सरकार ऐसी रीति से जो विहित की जाए ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार संबंधी आंकड़ों का संग्रहण करेगी।

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार संबंधी आँकड़े।

17. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करेगी।

केन्द्रीय सरकार आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएगी।

18. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

19. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के अधीन आने वाले किसी भी मामले को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

इस अधिनियम का अन्य विधियों के अल्पीकरण में न होना।

नियम बनाने की शक्ति।

20. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो, तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(*3*) इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता में विलम्ब के परिणामस्वरूप विकासात्मक विकारों का एकछत्र समूह अभिप्रेत है। यह विकासात्मक विकार केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्यों में विलम्ब से सम्बन्धित है। इससे पीड़ित बच्चे ह्रासिल व्यतिकारी सामाजिक-संचारकारी परस्परता से पीड़ित होते हैं। वे गतिविधियों की सीमित प्रदर्शनकारी सूची के दोहराव की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के प्रतिवेदन के अनुसार, विश्वभर में 160 व्यक्तियों में प्रत्येक एक व्यक्ति ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित है। इससे विकासात्मक विकारों की वैश्विक बीमारी बोझ लगभग 0.3 प्रतिशत है। इसका इतनी अधिक मात्रा में प्रचलन इस तथ्य के बावजूद है कि ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित व्यक्तियों से सम्बन्धित आंकड़े व्यापक नहीं हैं और इसमें अनेक सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या डब्ल्यू एच ओ द्वारा प्रदर्शित लक्ष्यों से कहीं अधिक है और सरकार द्वारा तत्काल ध्यान अपेक्षित है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 ने वयस्कों (18 वर्ष की आयु से अधिक) के लिए अप्रैल 2015 और 2016 के बीच भारत में मानसिक और मनोरोग विकारों का बोझ 10.6 प्रतिशत लगाया। इसका तात्पर्य यह है कि किसी दत्त बिन्दु पर, एक सौ पचास मिलियन भारतीय ऐसे हैं जिन्हें उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि 13-17 वर्षीय किशोरों में ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार की व्याप्ति 1.6 प्रतिशत है। यह प्रतिवेदन भारत-नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, काउन्सलिंग मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सक सामाजिक कर्मियों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की घोर कमी, मानसिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित नर्सों के बारे में भी बताती है। यह हमारे संज्ञान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मानसिक विकारों की प्रचलन दरों में घट-बढ़ सकती है और कम आय तथा शिक्षा के कम स्तर वाले व्यक्तियों के उच्च बीमारी बोझ को भी लाती है। ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार संबंधी आँकड़ों को प्राप्त करने को निगरानी और सूचना तंत्रों के अनुसंधान और विकास में निवेश की आवश्यकता है। विकासात्मक विकारों की वास्तविक व्याप्ति के बारे में बेहतर ज्ञान से ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार के कारणों को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार के कारणों पर अनुसंधान समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे अनुसंधान निष्कर्षों से, तत्पश्चात् सरकार बीमारी के बोझ को कम करने में रक्षात्मक उपाय कर सकती है।

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार करने वाले कारकों संबंधी अनुसंधान से पता चलता है कि अधिकांश मामलों में, ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी जकड़ में लेते हैं। सरकार गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग को प्रोत्साहन देकर और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित कर और पोषण और हिमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने जैसे उपायों के माध्यम से ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार की घटना को कम कर सकती है। पेडियाट्रिक डॉक्टर, माता-पिता और समुदायों को इन विकासात्मक विकारों के लक्षणों के बारे में संवेदनशील बनाया जाए, ताकि छोटी आयु से ही बच्चों की बीमारी का निदान और उपचार किया जा सके।

इन हस्तक्षेपों से ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित बच्चों को सहायता मिलती है और विकासात्मक विकारों से पीड़ित लोगों के साथ संवेदना पूर्ण व्यवहार करने में परिवारों तथा स्थानीय समुदायों को भी सहायता मिलती है।

वर्तमान में, भारत में ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार/विकारों से निपटने के लिए व्यापक विधि नहीं है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, यद्यपि इसका कार्यान्वयन 1996 से किया जा रहा है, राज्यों में विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन 2015-16 के अनुसार, एक तिहाई सर्वेक्षित राज्यों में ही पचास

प्रतिशत से अधिक कवरेज है। उपर्युक्त विषयों का प्रभावकारी समाधान करने के लिए, इस विधेयक पर विचार करना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
28 जून, 2017
7 आषाढ़, 1939 (शक)

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 का आशय ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों से पीड़ित व्यक्ति के सुगम और सुलभ उपचार हेतु उपबन्ध करना है। खण्ड 4 समुचित सरकार द्वारा ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार निगरानी समिति के गठन का उपबन्ध करता है। खण्ड 7 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का उपबन्ध करता है। खण्ड 8 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और नर्सों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार हेतु उपबन्ध करता है। खण्ड 9 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुपुर्दगी के प्रशिक्षण और सुविधा हेतु उपबन्ध करता है। खण्ड 10 ऑटीज्म से पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रत्यायित स्वास्थ्य कमी (आशा) और सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) की नियुक्ति का उपबन्ध करता है। खण्ड 11 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के कौशल विकास और संवेदनशील बनाने वाले कार्यक्रमों का उपबन्ध करता है। खण्ड 12 सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों से पीड़ित व्यक्ति के लिए दवाइयों सहित नि:शुल्क उपचार का उपबन्ध करता है। खण्ड 13 सार्वजनिक जागरूकता और नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों के आयोजन हेतु उपबन्ध करता है। खण्ड 15ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार और न्यूरो-विकासात्मक विकार के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषण का उपबन्ध करता है। खण्ड 16 ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार संबंधी आंकड़ों के संग्रहण का उपबन्ध करता है। खण्ड 17 इस अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को निधि मुहैय्या कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए उपबन्ध करता है। इसलिए, विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय किया जाएगा। इस पर भारत की संचित निधि में से लगभग पांच हजार करोड़ रुपए का वार्षिक आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर लगभग एक सौ करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 20 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि मामले केवल ब्यौरे से संबंधित होंगे, अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकारों से पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देने और उपचार को सुलभ और वहनीय बनाने एवं उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1301LS(S-3)—26.07.2017.